Ph. 23236351, 23232701, 23237721, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

स्पीड पोस्ट

मिसिल सं.–4–3 / 2008(सी.पी.पी.– I)

सितम्बर, 2009

श्रीकांत अस्थाना,
बी–619, गंगानगर,
मवाना रोड,
मेरठ–250 001.

11 SEP 2009

विषय:– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार आपके द्वारा भेजा गया पत्र जो कि आयोग को 25.08.2009 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि:–

क्र0सं0	प्रश्न	संभावित उत्तर
1.	दिनांक 30 जून, 2009 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने सम–विश्वविद्यालय कार्यरत है तथा इन्हें क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता दी गई है ?	पाठ्यक्रमों से संबंधित सूचना आयोग के पास मौजूद नहीं है। मानित विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न है।
3.	क्या सम–विश्वविद्यालयों को फार्मेसी, शिक्षा, तकनीक या प्रबंधन आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संबंधित परिषदों से अनुमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस अधिनियम अथवा नियमावली के अनुसार ऐसा किया जाना निर्दिष्ट है ?	फार्मेसी, शिक्षा तथा अन्य पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये संबंधित वैधानिक परिषदों की अनुमति लेना आवश्यक है, जैसे बी. फार्म के लिये फार्मेसी परिषद, बी.एड. के लिये एन.सी.टी.ई., एम.बी.बी.एस. के लिये एम.सी.आई. इत्यादि। लेकिन तकनीकी तथा प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिये सम–विश्वविद्यालयों को ए.आई.सी.टी.ई. की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस संबंध में भारत, सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति आपको पहले ही भेजी जा चुकी है।
5.	लोकसभा में ही विगत 05.12.2006 को माननीय सांसदों श्री आनंद राव विठोबा अदसुल तथा श्री शिवाजी अधालराव पाटिल के अतारांकित प्रश्न संख्या 1941 का उत्तर देते हुए मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने बताया था कि "**सम–विश्वविद्यालयों तथा इस श्रैणी में आने के लिए प्रयासरत संस्थानों से जुडे विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की सदस्यता वाली तीन–सदस्यीय समिति का गठन किया था।**	तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर ही आयोग ने दिनांक 15 जुलाई, 2006 द्वारा स्पष्ट किया था कि सभी सम विश्वविद्यालय साधारण पाठ्यक्रम जैसे–बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.काम एम.एस.सी. इत्यादि बिना आयोग की अनुमति से संचालित कर सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में उन्हें संबंधित वैधानिक परिषदों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। सिर्फ ए.आई.सी.टी.ई. के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिये पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ए.आई.सी.टी.ई. एक्ट में यह प्रावधान नहीं है।

	समिति की अनुशंसाओं में एक अनुशंसा थी की सम–विश्वविद्यालयों को सामान्य श्रेणी के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए किसी पूवानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में भी इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, सम विश्वविद्यालयों को इन पाठ्यक्रमों का संचालन करते हुए संबंधित व्यावसायिक परिषदों द्वारा स्थापित मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा संबंधित परिषद इनका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगी।" कृपया बतायें कि क्या उक्त समिति की संस्तुतियों के विपरीत कोई अन्य नियम अथवा व्यवस्थाएं अभी प्रभावी हैं।	

भवदीय

(के.पी. सिहं.)
संयुक्त सचिव एवं अपीलीय अधिकारी (सी.पी.पी.।)